संख्या-2/2019/634/आठ-7-19-18मेट्रो/2017

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **प्रमुख सचिव**,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

2- **समस्त मण्डलायुक्त**,
उत्तर प्रदेश।

3- **अध्यक्ष**,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

4- **उपाध्यक्ष**,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

5- **प्रबन्ध निदेशक**,
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक : 07 जून, 2019**

विषय : उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं/रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन' के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-01/2018/38/आठ-7-18-18मेट्रो/2017 दिनांक 11.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सुझावानुसार अन्य निर्णयों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से "एकल विशेष प्रयोजन साधन" गठित करते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 में विहित प्राविधानों के अनुसार नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन, जोकि भारत सरकार तथा उ0प्र0 शासन की 50:50 की स्वामित्व वाली कम्पनी है, को "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से गठित किये जाने वाले उक्त "एकल विशेष प्रयोजन साधन" की सब्सिडियरी कम्पनी बनाये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- अवगत कराना है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-के-14011/27/2013-एम.आर.टी.एस.-IV दिनांक 10.04.2019 द्वारा सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

01.04.2019 को भारत सरकार के स्तर पर सम्पन्न उक्त बैठक में नोयडा-ग्रेटर नोयडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित "नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन" को पृथक एस.पी.वी. के रूप में यथास्थिति बनाये रखने अथवा "नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन" को "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" में समाहित किये जाने के बिन्दु पर राज्य सरकार के स्तर से अविलम्ब निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना किसी विलम्ब के प्रारम्भ हो सके।

3- इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नोयडा-ग्रेटर नोयडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित "नोयडा मेट्रो रेल कारपोरेशन" को पृथक एस.पी.वी. के रूप में यथास्थिति बनाये रखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से "एकल विशेष प्रयोजन साधन" गठित कर भारत सरकार को अवगत कराया जाय।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु "उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन" के नाम से "एकल विशेष प्रयोजन साधन" गठित करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in